न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 80/2019
दायर दिनांक :– 21.10.2019

अनवान

1. रामदेव पिता देवी रेगर नि. रतनपुरा तह. जहाजपुर
2. रामेश्वर पिता देवी रेगर नि. रतनपुरा तह. जहाजपुर

वादीगण.........

बनाम

1. महावीर पिता हजारी मीणा नि. रतनपुरा तह. जहाजपुर
2. कालू पिता नन्दा रेगर नि. रतनपुरा तह. जहाजपुर
3. धर्मराज पिता नन्दा रेगर नि. रतनपुरा तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अखलाक खान, वकील वादीगण

दिनांक 30.05.2022

:: निर्णय ::

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तख्तपुरा प0 ह0 गांगीथला तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 179, 183 कुल किता 02 रकबा 06–06 बीघा कृषि भुमि वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 अपराधिक प्रवृत्ति के खुखांर व्यक्ति है जिनका वादीगण की कृषि भूमि में वर्णित भूमि से कोई लेना देना नही हैं प्रतिवादी सं. 1 से 3 धन सम्पन्न राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। जबकि वादीगण गरीब काश्तकार है जो कि बाहर गांव मजदूरी करने व कमा खाने चले जाते हैं जिससे वादीगण की खातेदारी भूमि के प्रतिवादी सं. 1 से 3 पडौसी काश्तकार है। वांदीगण की खातेदारी भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से 3 हडपने व कब्जा करने की नियत रखते हैं जो कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 आये दिन वादीगण से भूमि की सीमा को कम ज्यादा बताकर विवाद करते रहते थे। एंव प्रतिवादीगण ने सन 2017 में वादीगण की खातेदारी भूमि को हडपने कब्जा करने की नियत से फसल काश्त करते समय जबरन वादीगण की भूमि पर आगे बढकर आराजी सं. 179 एवं आराजी सं. 183 की आंशिक भाग की भूमि को भी ट्रेक्टर से हकंवाकर फसल काश्त कर दी व वादीगण की खातेदारी भूमि के आंशिक भाग को भी प्रतिवादी ने स्वंय की भूमि में मिला कर अवैध कब्जा बना लिया। वादीगण ने अपनी भूमि की सीमा की जानकारी हेतु व विवाद के स्थाई समाधान हेतु न्यायालय श्रीमान आप के समक्ष पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 814/17 पेश कर दिनांक 16.10.2017 को पत्थरगढी आदेश प्राप्त किया व उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 27.06.2018 को राजस्व अधिकारी गिरदावर एंव पटवारी मौके पर आये व वादी की भूमि की पत्थरगढी की एवं स्थाई सीमा चिन्हो के पत्थर गाढे। जिसमें की वादी की भूमि आराजी सं. 179,

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

183 की आंशिक भाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 का अवैध कब्जा होना जाहिर हुआ। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से 3 से इसका अवैध कब्जा छोडकर वादीगण को भूमिका कब्जा सिपूर्द करने की कहा तो इसने कब्जा नहीं हटाया व जबरन शक्ति के बल पर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि आ.सं. 179, 183 के आंशिक भाग पर जुलाई 2019 मे पुनः हांक कर कब्जा यथावत रखा। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि आ.सं. 179, 183 के आंशिक भाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 का जबरन बनाया कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल करा स्वंय कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं एवं अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अपने शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करने बाबत प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पावन्द कराना चाहते है। दिनांक 27.06.2018 से वादीगण की खातेदारी भूमि आराजी सं. 179, 183 की पत्थरगढी किये जाने पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 का अवैध कब्जा होना जाहिर होने से व वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 3 को कब्जा छोडने की कहने पर उसके द्वारा कब्जा छोडने से मना करने व वादीगण की खातेदारी भूमि आराजी सं. 179, 183 के आंशिक भाग को प्रतिवादी बरदा द्वारा जुलाई 2019 मे ही पुनः जबरन हांक कर कब्जा यथावत बनाये रखने के कारण वादीगण को दिनांक जुलाई 2019 से वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादीगण की खातेदारी भूमि पैरा सं. 1 मे वर्णित वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि आ. सं. 179, 183 के आंशिक भाग से प्रतिवादी सं. 1 से 3 का जबरन बनाया कब्जा हटवाकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल करा, भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिक्री वादीगण के पक्ष मे पारित की जावे एवं बाद कब्जा वादीगण को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त मे बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी कि गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद मे खाता सं. 60 नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति प्रदर्श 1, दिनांक 27.06.2018 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 2 है जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह मे स्वयं वादी रामदेव रेगर पी. डब्ल्यु 1, रामेश्वर रेगर पी. डब्ल्यु 2, हरिसिंह मीना पी. डब्ल्यु 3, धर्मराज रेगर पी. डब्ल्यु 4 के ब्यान करवाये गये, जिसे शा0 फा0 किया गया।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण बहस के दौरान बताया कि वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी सं 1 से 3 का जबरन बनाया अवैध कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादी 1 से 3 को बेदखल करा उक्त वर्णित भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादीगण को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त मे बाधा न डाले, न डलवाये की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2070–73 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा न 179, 183 कुल किता 02 रकबा 06–06 बीघा कृषि भुमि वादीगण के नाम दर्ज है। आ0

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with CamScanner

स0 179, 183 के आंशिक भू भाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने मौके पर कब्जा कर लिया है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 2 से होती है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होनें बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादीगण अपनी भूमि से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल कराने का अधिकार रखते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा कब्जा कर लेने से वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम तख्तपुरा प0 ह0 गांगीथला तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 179, 183 कुल किता 02 रकबा 06–06 बीघा के आंशिक भू भाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

1. रामदेव पिता देवी रेगर नि. रतनपुरा तह. जहाजपुर
2. रामेश्वर पिता देवी रेगर नि. रतनपुरा तह. जहाजपुर

वादीगण..........

बनाम

1. महावीर पिता हजारी मीणा नि. रतनपुरा तह. जहाजपुर
2. कालू पिता नन्दा रेगर नि. रतनपुरा तह. जहाजपुर
3. धर्मराज पिता नन्दा रेगर नि. रतनपुरा तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 183, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 80/2019

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अखलाक खान का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम तख्तपुरा प0 ह0 गांगीथला तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 179, 183 कुल किता 02 रकबा 06–06 बीघा के आंशिक भू भाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.06.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner